निगरानी /एल0आर0/5389/2003/भीलवाडा
रामकुमार आदि बनाम कन्हैयालाल आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<u>एकलपीठ</u> **श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य** **उपस्थितः–** श्री मदनलाल गुर्जर अधिवक्ता, प्रार्थी। श्री पी0 गण्डेविया अभिभाषक, अप्रार्थीगण **निर्णय दिनांक 4–02–19** यह निगरानी अन्तर्गत धारा 84 सपठित धारा 9 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश अपर जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–7–2003 प्रकरण संख्या 1/2000 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से है प्रार्थीगण ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत अपरजिला कलक्टर भीलवाडा के समक्ष एक रेफरेस प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय नेदर्ज रजिस्टर कर उभयपक्ष की सुनवाई कर अपने आदेश दिनांक 11–7–03 द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर यह निगरानी राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। उभयपक्ष की बहस निगरानी पर सुनी गयी। दौराने बहस अभिभाषक प्रार्थी का मुख्य तर्क यह है कि विद्वज्ञन अपर जिला कलक्टर भीलवाडाने इसतथ्यय परध्यान नही दियाकि लोकनीति के तहत अनुसूचित जाति के सदस्य की आराजी सवर्ण जाति के व्यक्तियों के नाम किसी भी कानून के तहत दर्ज नही की जासकती है। विद्वान अधीनस्थन्यायालय का अपनेनिर्णय में यह मानना कि धारा 82 के तहत राजस्वमण्डल को रेफरेंस उन्ही प्रकरणों में भेजा जा सकता है जो किसी अधिकारी या न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने का अधिकार है। चूँकि प्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी सवर्ण जाति के व्यक्तियों के नाम दर्ज की गयी है जो जो एक आदेश ही माना जायेगा । ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय रेफरेंस को खारिज कर कानूनी त्रुटि की है, अन्त में निगरानी स्वीकार कर निगरानीधीन निर्णय को निरस्त कर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया। इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने निगरानीधीन निर्णय को कानून सम्मत बताया और और निवेदन किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थनापत्र को खारिज कर कोई कानूनी त्रुटि नही की गयी है। अन्त में निगरानी खारिज करने का निवेदन किया गया।	

निगरानी /एल0आर0/5389/2003/भीलवाडा
रामकुमार आदि बनाम कन्हैयालाल आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत अपरजिला कलक्टर भीलवाडा के समक्ष एक रेफरेस प्रार्थनापत्र संख्या 1/2000 शीर्षक रामकुवार आदि बनाम कन्हैयालाल आदि प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर कर उभयपक्ष की सुनवाई कर अपने आदेश दिनांक 11–7–03 द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र सारहीन होने से खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर यह प्रार्थीगणकी ओर से यह निगरानी राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। महत्वूपर्ण तथ्य जो अधीनस्थ ने अपने निर्णय में माना है वह यह है कि सम्वत 1994 में एक इन्द्राज जो रजिस्टर्ड तब्दीलात राज्य उदयपुर मेवाड के समय किया गया है वह विधि सम्मत है या नही ? अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह माना गया कि सं0 1994 में ढोली जाति अनुसूचित जाति वर्ग में नही थी तथा जिन्हे अनुसूचित के वर्ग में सन 1976 के बाद शामिल किया गया है। अतः सं0 1994 में न तो अनुसूसचित जाति के सवर्ग में ढोली जाति शामिल थी और ना ही आरटीएक्ट उस समय लागू था। अतः धारा 42 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नही होते है । इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायायालय द्वारा यह माना गया है कि उक्त इन्द्राज सं. 1994 के विरुद्ध अगर कोई विधि विपरीत इन्द्राज माना जावे तो प्रार्थी/निगरानीकर्ता के पक्ष में अन्य प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए थी। उक्त आधार पर अधीनस्थ न्यायालय दारा रेफरेंस पोषणीय नही माना है, जो उचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने विस्तृत विवेचन के साथ निगरानीधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें हस्तगत निगरानी के माध्यम से हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही समझते है। परिणामस्वरुप हस्तगत निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। अपर जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–7–2003 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनायागया। (मनोज कुमार नाग) सदस्य	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए